

# कार्यालय निदेशक माध्यमिक शिक्षा राजस्थान बीकानेर

## कार्यालय आदेश

इस कार्यालय के आदेश संख्या शिविरा/माध्य/संस्था/सी-5/ स्थानातंरण-पदस्थापन /2018 दिनांक 13/08/18 के द्वारा दारा सिंह व्याख्याता अर्थशास्त्र का स्थानातंरण राउमावि गंगापुरसिटी, सवाईमाधोपुर से राउमावि मानपुर दौसा किया गया था एवं विरेन्द्र मीना व्याख्याता अर्थशास्त्र का स्थानातंरण राउमावि मानपुर दौसा से राउमावि गंगापुर सिटी सवाईमाधोपुर किया गया था । जिस पर अपीलार्थी दारा सिंह गौड़ को माननीय अधिकरण, जयपुर द्वारा अपील संख्या 3082/18 दारा सिंह गौड़ बनाम सरकार से दिनांक 17/09/18 को स्थगन प्राप्त हो गया तत्पश्चात माननीय अपील अधिकरण जयपुर द्वारा दिनांक 16/01/19 को अपीलार्थी दारा सिंह गौड़ के प्रकरण में निर्णय प्रदत्त करते हुए अपीलार्थी द्वारा फाईल की गई अपील खारीज कर दी गई, साथ ही व्याख्याता विरेन्द्र मीणा के संबंध में उक्त आक्षेपित आदेश के क्रियान्वयन को स्थगित कर दिया गया ।

अतः राउमावि गंगापुरसिटी, सवाईमाधोपुर में व्याख्याता अर्थशास्त्र में दोहरा पदस्थापन होने के आधार पर माननीय अपील अधिकरण जयपुर द्वारा प्रदत्त निर्णय की पालना में श्री दारासिंह का स्थानातंरण राउमावि गंगापुरसिटी, सवाईमाधोपुर स्थानातंरणाधीन राउमावि मानपुर दौसा से A.G.S.SEC.S.TALAIYAN,BICCHIWARA,DUNGARPUR(ST) व्याख्याता अर्थशास्त्र के पद पर किया जा कर श्री विरेन्द्र मीणा व्याख्याता अर्थशास्त्र को राउमावि गंगापुरसिटी, सवाईमाधोपुर में यथावत किया जाता है । दारासिंह व्याख्याता अर्थशास्त्र को नियमानुसार यात्रा भत्ता एवं योगकाल देय होगा ।

(नथमल डिले  
ल)

आई.ए.एस.

निदेशक, माध्यमिक शिक्षा  
राजस्थान, बीकानेर

दिनांक 23/1/19

क्रमांक:-शिविरा/माध्य/संस्था/सी-5/कोके/दारासिंह /18-19

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ व आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है ।

1. संबंधित संयुक्त निदेशक, स्कूल शिक्षा
2. संबंधित मुख्य जिला शिक्षा अधिकारी स्कूल शिक्षा
3. सहायक निदेशक, विधि प्रभाग माध्यमिक शिक्षा राजस्थान बीकानेर को उनके पत्र क्रमांक शिविरा/मा/विधि/बी-3/जोध/29906/एफ/2018 दिनांक 22/10/18 की पालना में सूचनार्थ प्रति प्रेषित है ।
4. संबंधित संस्था प्रधान राउमावि गंगापुर सिटी, सवाईमाधोपुर/ A.G.S.SEC.S.TALAIYAN,BICCHIWARA,DUNGARPUR(ST) को प्रेषित कर पाबंद किया जाता है कि मुख्य निवाचन अधिकारी जयपुर, राजस्थान के पत्रांक प03 (3) (2)रोल/निर्वा/एसएसआर-2019/2018/12534 दिनांक 14/12/18 में प्रदत्त निर्देशों की पालना करते हुए आवश्यक कार्यवाही करें ।
5. संबंधित व्याख्याता
6. जिला शिक्षा अधिकारी, माध्यमिक, विधि, जयपुर को आवश्यक कार्यवाही हेतु ।
7. निजी/रक्षित पत्रावली

सुनुक्त निदेशक (कानूनिक)  
माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान  
बीकानेर